संख्याः 1/2022/14/सत्रह-म-2022-17-1002(099)/4/2021

प्रेषक,

कृपा शंकर यादव,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,

उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांकः 27 जनवरी, 2022

विषयः वित्तीय वर्ष 2020-21(कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत अनुदान सं0-83 में अनुसूचित जाति वर्ग हेतु मात्र केन्द्रांश रू0 304.92 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-17/नि0शा0/2021-22/16-19(6) दिनांक 05 जनवरी, 2022 एवं तत्क्रम में पत्र संख्या-22/नि0शा0/2021-22/16-19(6) दिनांक 07 जनवरी, 2022 द्वारा प्रेषित संशोधित प्रस्ताव का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिये अवमुक्त केन्द्रांश रू0 306.215 लाख के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-83 में अनुसूचित जाति वर्ग हेतु प्रावधानित बजट रू0 1851.97 लाख में से अवशेष धनराशि के अन्तर्गत रू0 508.20 लाख (केन्द्रांश रू0 304.92 लाख + मैचिंग राज्यांश रू0 203.28 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) के सापेक्ष प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति मद हेतु भारत सरकार के पत्रांक W- 11011/8/2020-Fy दिनांक 30.12.2021 द्वारा केन्द्रांश धनराशि रू0 306.215 लाख अवमुक्त की गयी है। आय-व्ययक 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्रश्नगत योजना में अनुसूचित जाति वर्ग हेतु कुल रू0 1851.97 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-83 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग हेतु प्रावधानित बजट रू0 1851.97 लाख में उपलब्ध अवशेष धनराशि की सीमान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत मद में अवमुक्त केन्द्रांश धनराशि रू0 306.215 लाख के सापेक्ष वित्तीय प्रबन्धन के दृष्टिगत सर्वप्रथम मात्र केन्द्रांश रू0 304.92 लाख (रू0 तीन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

करोड चार लाख बानबे हजार मात्र) की धनराशि को निम्न तालिकानुसार 07 परियोजनाओं हेतु श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका

(इकाई रू0 लाख में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम/ वित्त पोषण (+के036रा+024ला-0 40,के+0रा (0	इकाई /हे0) सं (0	ईकाई लागत	कुल परियोजना लागत	वित्तीय वर्ष 2020-21 केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनावार प्रस्ताव			द्वितीय किश्त के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष निर्गत होने वाली मात्र केन्द्रांश धनराशि	
					केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंश	केन्द्रांश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	वृहद आर0ए0एस0/ बायोफ्लाक का निर्माण	21	50.00	1050.00	378.00	252.00	420.00	144.00	144.00
2	मध्यमाकार आर0ए0 एस0/ बायोफ्लाक का निर्माण	6	25.00	150.00	54.00	36.00	60.00	45.00	45.00
3	इनसुलेटेड वाहन	7	20.00	140.00	50.40	33.60	56.00	36.00	36.00
4	थ्री व्हीलर विद आइसबाक्स	11	3.00	33.00	11.88	7.92	13.20	4.32	4.32
5	जीवित मत्स्य विक्रय केन्द्र	6	20.00	120.00	43.20	28.80	48.00	28.80	28.80
6	लघु मिलों की स्थापना (उत्पादन क्षमता 2 टन/दिन)	4	30.00	120.00	43.20	28.80	48.00	10.80	10.80
7	मध्यमाकार मिलों की स्थापना (उत्पादन क्षमता 8 टन/दिन)	1	100.0	100.00	36.00	24.00	40.00	36.00	36.00
	कुल योग							**304.92**	**304.92**

(रू0 तीन करोड़ चार लाख बानबे हजार मात्र)

(1) भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि विषयक पत्र दिनांक 30.12.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा अवमुक्त धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेगे, जो भारत सरकार के दिशा- निर्देशों के अनुरूप है।

(3) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब निदेशक मत्स्य / सम्बंधित अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन / संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(5) विभागाध्यक्षों / अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल अवश्यकता होने पर ही किया गया है।

(6) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(7) संभावित व्यय को एकमुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/ बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(11)स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय / उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य- योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(14) ऑकडो की शुद्वता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(15) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि का आहरण किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत है।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06.06.1994 में दिये गये दिशा- निर्देशों/प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(17) भारत सरकार के पत्रांक जे -018001/ 1/ 2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2021 के प्रस्तर-3 (।।) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/ डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करने, धनराशि का व्यय करने व उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कराये जाने के दिये गये निर्देशों व अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(18) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(19) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है,जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(20) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

4- **उक्त शर्तो के साथ ही साथ मात्र केन्द्रांश रू0 304.92 लाख की प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना एक लाभार्थीपरक योजना है | अत: कृपया निदेशक मत्स्य व सम्बंधित अधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रभावी चुनाव आदर्श आचार संहिता (एम0सी0सी0) का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरांत ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा |**

5- वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष सम्बंधित जनपदों को परियोजनाओं के सापेक्ष निर्गत किये जाने वाली धनराशि व तत्सम्बन्धी जनपदों का निर्धारण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों व गाइड लाइन्स के अनुसार निदेशक मत्स्य द्वारा अपने स्तर से नियमानुसार किया जायेगा।

6- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के036/रा024/लाभार्थी-40,के0+रा0)20-सहायता अनुदान–सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर/अशासकीय संख्या- ई-1-3504-दस-2021-2022 दिनांक-19.01.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(कृपा शंकर यादव)
उप सचिव।

संख्या: 1/2022/14(1)/सत्रह-म-2022तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
9- गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।